

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

—: प्रेस-नोट :—

दिनांक :— 19.11.2020

आयोग द्वारा दिनांक 11.08.2019 को आयोजित **Asst. Professor (Broad Speciality) (Medical Edu.) Screening Test 2020** के निम्नलिखित विषय यथा :— **Anaesthesiology, Biochemistry, Community Medicine, Dermatology Venereology and Leprosy, General Medicine, General Surgery, Microbiology, Nuclear Medicine, Obstetrics & Gynaecology, Ophthalmology, Orthopaedics, Pharmacology, Physical Medicine and Rehabilitation, Psychiatry, Radiodiagnosis, Radiological Physics, Radiotherapy, Tuberculosis and Respiratory Medicine/Pulmonary Medicine** तथा दिनांक 13.08.2019 से दिनांक 14.08.2020 को आयोजित **Asst. Professor (Super Speciality) (Medical Edu.) Screening Test 2020** के निम्नलिखित विषय यथा :— **Cardiology, Cardio Vascular & Thoracic Surgery, Endocrinology, Medical Gastroenterology, Medical Oncology, Neonatology, Nephrology, Neurology, Neuro Surgery, Paediatric Surgery, Plastic & Reconstructive Surgery, Surgical Oncology** की उत्तरकुंजियाँ आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गयी है। यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन उत्तरकुंजियों पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 21.11.2020 से दिनांक 23.11.2020 को रात्रि 12:00 बजे तक अपनी आपत्ति **ऑनलाईन दर्ज करवा सकता है**। आपत्तियाँ आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध **मॉडल प्रश्न पत्र** के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। इस परीक्षा का प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आपत्ति प्रामाणिक (Standard, Authentic) पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाईन ही प्रविष्ट करें। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा। साथ ही उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाते है तो उन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आयोग द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु आपत्ति शुल्क रु 100/— (सेवा शुल्क अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी SSO Portal पर Login कर Recruitment Portal का चयन कर उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक (Question Objection) पर Click कर प्रश्नों पर आपत्तियाँ दर्ज कराकर प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क रु 100/— (सेवा शुल्क अतिरिक्त) के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क ई-मित्र कियोस्क अथवा अभ्यर्थी स्वयं के माध्यम से भी पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियों को स्थाई रूप से दर्ज कर सकता है। आयोग द्वारा शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है। शुल्क के अभाव में आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जावेंगी। आपत्तियाँ केवल ऑनलाईन ही प्रस्तुत करें। ऑनलाईन आपत्तियों का लिंक दिनांक 21.11.2020 से दिनांक 23.11.2020 को रात्रि 12.00 बजे तक ही उपलब्ध है, उसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियाँ केवल एक बार ही ली जाएंगी।

(एस.एन.शर्मा)

उप सचिव